

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 165/2016

1. शान्तिदेवी पत्नी श्री बन्शीधर मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम घटवाडा, तहसील आमेर, हाल निवासी ग्राम मालेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

**बनाम**

1. प्रेमदेवी पत्नी श्री बाबूलाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम घटवाडा, तहसील आमेर, हाल निवासी ग्राम मालेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. रामनिवास पुत्र स्व० गोविन्दा
3. प्रहलाद पुत्र स्व० गोविन्दा
4. कालूराम पुत्र नारायण
5. बनवारी पुत्र नारायण
6. मक्खन पुत्र नारायण
7. रामू पुत्र स्व० लालाराम
8. लक्ष्मण पुत्र स्व० लालाराम
9. कल्याण पुत्र स्व० लालाराम
10. सरदार पुत्र स्व० लालाराम
11. उप पंजियक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. सिंडिकेट बैंक शाखा फतेहपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
14. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा जाटावाली जरिये शाखा प्रबन्धक।


प्रतिवादीगण

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट**

निर्णय दिनांक 19.02.2018

व.फ.उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 10.05.2017 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुरेजात प्राप्त हो चुके हैं। जिस पर वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षों ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद में तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जावे। हमने बहस पर मनन किया तथा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात में वकील उभयपक्षों को कोई एतराज नहीं है तथा कुरेजात अनुसार दावे को अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है।


अतः तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात स्वीकार किये जाते हैं तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री की जाती है:- विवादित भूमि के खाता संख्या 68 के आराजी ख० न०

  
उपखण्ड अधिकारी  
चौमूं, जिला जयपुर

97, 98, 99 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.89, खाता संख्या 69 के आराजी ख0 न0 108 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 70 के आराजी ख0 न0 100 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.49 हैक्टेयर वाके ग्राम मालेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमूं द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. शान्ति देवी पत्नि बंशीधर प्रेमदेवी पत्नि बाबूलाल जाति मीना सा. घटवाडा तह. आमेर खातेदार को ख0न0 97 रकबा 0.10 हैक्ट, ख0न0 98 रकबा 0.38 हैक्ट., ख0न0 99/1 रकबा 0.3440 हैक्ट., ख0न0 100/2 रकबा 0.02 हैक्ट. कुल किता 4 का कुल रकबा 0.8440 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं। लगान 6.82रू रहेगा।
2. रामनिवास प्रहलाद पि. गोविन्दा हि. 383/460 राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा फतेहपुरा मुर्तहीन कालूराम पुत्र नारायण हि. 77/460 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा जाटावाली जाति मीना सा. देह को ख0न0 99/2 रकबा 0.0460 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0460 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं। लगान 0.32रू रहेगा।
3. रामनिवास प्रहलाद पि. गोविन्दा हि. 3056/5500 राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा फतेहपुरा मुर्तहीन कालूराम पुत्र नारायण हि. 610/5500 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा जाटावाली रामू लक्ष्मण कल्याण सरदार पि. लालाराम हि. 1834/5500 जाति मीणा सा. देह खातेदार को ख0न0 108 रकबा 0.55 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.55 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं। लगान 12.09रू रहेगा।
4. रामनिवास प्रहलाद पि. गोविन्दा हि. 2996/4900 बनवारी पु. नारायण हि. 544/4900 मक्खन पि. नारायण हि. 544/4900 राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा फतेहपुरा मुर्तहीन कालूराम पु. नारायण हि. 816/4900 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा जाटावाली जाति मीणा सा. देह खातेदार को ख0न0 100/1 रकबा 0.47 हैक्ट., ख0न0 99/3 रकबा 0.02 हैक्ट. कुल किता 2 का कुल रकबा 0.49 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में सन्तरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं। लगान 3.92रू रहेगा।

अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो। आदेश दिनांक 19.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया।

  
प्रियव्रत सिंह चारण  
आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्दाई  
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व  
अजलास प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस

1. शान्तिदेवी पत्नी श्री बन्शीधर मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम घटवाडा, तहसील आमेर,  
हाल निवासी ग्राम मालेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

**बनाम**

1. प्रेमदेवी पत्नी श्री बाबूलाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम घटवाडा, तहसील आमेर,  
हाल निवासी ग्राम मालेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. रामनिवास पुत्र स्व० गोविन्दा
3. प्रहलाद पुत्र स्व० गोविन्दा
4. कालूराम पुत्र नारायण
5. बनवारी पुत्र नारायण
6. मक्खन पुत्र नारायण
7. रामू पुत्र स्व० लालाराम
8. लक्ष्मण पुत्र स्व० लालाराम
9. कल्याण पुत्र स्व० लालाराम
10. सरदार पुत्र स्व० लालाराम
11. उप पंजियक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. सिंडिकेट बैंक शाखा फतेहपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
14. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा जाटावाली जरिये शाखा प्रबन्धक।


प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं० 165/2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी व प्रतिवादीगण हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :- विवादित भूमि के खाता संख्या 68 के आराजी ख० न० 97, 98, 99 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.89, खाता संख्या 69 के आराजी ख० न० 108 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 70 के आराजी ख० न० 100 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.49 हैक्टेयर वाके ग्राम मालेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमूं द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. शान्ति देवी पत्नि बंशीधर प्रेमदेवी पत्नि बाबूलाल जाति मीना सा. घटवाडा तह. आमेर  
खातेदार को ख०न० 97 रकबा 0.10 हैक्ट., ख०न० 98 रकबा 0.38 हैक्ट., ख०न० 99/1

  
उपखण्ड अधिकारी  
चौमूं, जिला जयपुर

- रकबा 0.3440 हैक्ट., ख0न0 100/2 रकबा 0.02 हैक्ट. कुल किता 4 का कुल रकबा 0.8440 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं। लगान 6.82रु रहेगा।
2. रामनिवास प्रहलाद पि. गोविन्दा हि. 383/460 राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा फतेहपुरा मुर्तहीन कालूराम पुत्र नारायण हि. 77/460 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा जाटावाली जाति मीना सा. देह को ख0न0 99/2 रकबा 0.0460 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0460 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं। लगान 0.32रु रहेगा।
3. रामनिवास प्रहलाद पि. गोविन्दा हि. 3056/5500 राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा फतेहपुरा मुर्तहीन कालूराम पुत्र नारायण हि. 610/5500 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा जाटावाली रामू लक्ष्मण कल्याण सरदार पि. लालाराम हि. 1834/5500 जाति मीणा सा. देह खातेदार को ख0न0 108 रकबा 0.55 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.55 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं। लगान 12.09रु रहेगा।
4. रामनिवास प्रहलाद पि. गोविन्दा हि. 2996/4900 बनवारी पु. नारायण हि. 544/4900 मखन पि. नारायण हि. 544/4900 राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा फतेहपुरा मुर्तहीन कालूराम पु. नारायण हि. 816/4900 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा जाटावाली जाति मीणा सा. देह खातेदार को ख0न0 100/1 रकबा 0.47 हैक्ट., ख0न0 99/3 रकबा 0.02 हैक्ट. कुल किता 2 का कुल रकबा 0.49 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में सन्तरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं। लगान 3.92रु रहेगा।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 19.02.2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .....  
ओहदा..... अधिकारी

मुदई	रुपये	पैसे	मुदाईला	उरुषये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3		स्टाम्प अर्जी दावा	2	
स्टाम्प वकालत नामा	0		स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।



उपखण्ड अधिकारी  
चौमू, जिला जयपुर